फर्द अहकाम

2022/431

रामगोपाल बनाम चन्दालाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : दावा 272 / 2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27.12.2022	यह दावा वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रतिवादीगणों पर सम्मनों की तामिल आदेश 5 नियम 9 में उपबन्ध अनुसार हो। वकील वादी को आदेशित किया जाता है कि सात दिवस के भीतर वाद पत्र की प्रतियों के साथ प्रतिवादियों पर सम्मनों की तामिल हेतु आवश्यक प्रतियां एवं अपेक्षित फीस प्रस्तुत करें। सात दिवस में इस आशय का शपथ पत्र पेश हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजि. नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 12.01.2023 को पेश हो। Sd/- सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	नोटिसजारी on 10/1-1-23 6/1/23
	12/01/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते इंतजार तलबी दिनांक 02/02/23 को पेश हो। Sd/-	
	02/2/23	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अनुपस्थित एवं वादीगण अधिवक्ता भी अनुपस्थित। न्यायालय समय में बार-बार आवाजें लगवाई गई परन्तु ना तो कोई वादीगण उपस्थित हुए ना ही वादीगण की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/-	

Scanned with OKEN Scanner